



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 13, 2015/ज्येष्ठ 23, 1937

No. 390]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 13, 2015/JYAISTHA 23, 1937

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2015

सा.का.नि. 490(अ).—सरकार, दिनांक 04.02.2003 की सामान्य छूट अधिसूचना संख्या 22/2003- सीमा-शुल्क, क्रमांक संख्या 5, दिनांक 01.03.2011 की सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 26/2011 और दिनांक 31.3.2015 की अधिसूचना संख्या 14/2015 के अनुसरण में और संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत और दिनांक 25.10.2011 की सा.का.नि. संख्या 800(अ) द्वारा अधिसूचित अधिसूचना के अधिक्रमण में सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करने के लिए आयातित कला वस्तुओं के पर्यवेक्षण और रख-रखाव के लिए निम्नलिखित संशोधित परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करती है :

2. ये परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत सीमा शुल्क संबंधी निःशुल्क आयात के लिए अनुमत सभी पुरावस्तुओं और कलाकृतियों के आयात पर लागू होंगे, क्योंकि इनका अभिप्रेत सार्वजनिक संग्रहालय अथवा निजी संग्रहालय/आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी से है जहां सामान्यजन प्रवेश शुल्क का भुगतान करके या अन्यथा रूप से प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत छूट प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने वाले संग्रहालय/आर्ट गैलरी निम्नलिखित शर्तों को अवश्य पूरा करते हों :

(क) आयात करने के लिए प्रस्तावित कलाकृति या पुरावस्तु की खरीद स्वयं संग्रहालय द्वारा, या किसी व्यक्ति द्वारा अवश्य की गई हो, जिनका ऐसे संग्रहालयों के साथ एक दीर्घकालिक करार है और उनका अभिप्राय उस संग्रहालय में प्रदर्शनी के लिए है।

(ख) उपर्युक्त (क) के प्रयोजन हेतु, किसी संग्रहालय का तात्पर्य निम्नलिखित से होगा :

(i) केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा संचालित कोई संग्रहालय ;

(ii) या कोई कानूनी निकाय या स्वायत्त संस्थान या गैर-सरकारी संस्थान, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत किसी सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के

अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित है या पूर्ण विन्यास अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी न्यास के रूप में पंजीकृत है या कोई पंजीकृत गैर-लाभकारी कॉरपोरेट निकाय है या उपरोक्त निम्नलिखित श्रेणी की निजी संस्था है।

3. उपरोक्त श्रेणी 2(ख) (ii) में यथा विनिर्दिष्ट कोई भी ऐसा संग्रहालय/आर्ट गैलरी जो सीमा शुल्क का भुगतान किए बगैर कलाकृतियों का आयात करना चाहता है, को संस्कृति मंत्रालय से दिनांक 01 मार्च, 2011 की सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या 26/2011-सीमा शुल्क में यथा विनिर्दिष्ट प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा, जिसे मंत्रालय में इस प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी अर्थात् संयुक्त सचिव (संग्रहालय) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व संस्कृति मंत्रालय द्वारा नियुक्त "प्राधिकृत अधिकारी" होने के कारण उपसचिव या निदेशक (संग्रहालय), (जैसा भी मामला हो) स्वयं यह संतुष्ट करेंगे कि संग्रहालय/आर्ट गैलरी इन मार्गदर्शी सिद्धांतों और उपरोक्त सीमा-शुल्क अधिसूचना में यथा विहित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। संबंधित संग्रहालय/आर्ट गैलरी कलाकृति के आयात की वास्तविक तिथि से कम से कम चार सप्ताह पूर्व सरकार से अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे। सीमा-शुल्क की छूट के साथ कलाकृतियों के लिए इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 2(ख) (ii) में यथा विनिर्दिष्ट संग्रहालय/आर्ट गैलरी द्वारा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

- (क) संबंधित संग्रहालय/आर्ट गैलरी के प्राधिकृत प्रतिनिधि अनुलग्नक- ख के रूप में संलग्न जांच सूची में उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियों सहित अनुलग्नक - क में इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ संलग्न आवेदन प्रपत्र में प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निदेशक (संग्रहालय), संस्कृति मंत्रालय को आवेदन करेंगे।
- (ख) संग्रहालय से अनुरोध प्राप्त होने पर संस्कृति मंत्रालय का संग्रहालय प्रभाग क्या आवेदक संग्रहालय उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता है कि नहीं संबंधी जांच के पश्चात देश में आने वाली कलाकृतियों के निःशुल्क सीमा शुल्क आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए संग्रहालय/आर्ट गैलरी से प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई करेगा। यदि संग्रहालय/आर्ट गैलरी सभी शर्तों को पूरा करता है तो "प्राधिकृत अधिकारी" द्वारा एक प्रमाण-पत्र तैयार करके और निम्नलिखित का सत्यापन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी {संयुक्त सचिव (संग्रहालय)} के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ;
- (i) आयातकर्ता एक ऐसा संग्रहालय अथवा एक आर्ट गैलरी संचालित करता है जिसमें जनता को प्रवेश करने की अबाधित अनुमति है;
- (ii) जिस भवन में ऐसा संग्रहालय या आर्ट गैलरी अवस्थित है, उसका स्पष्ट अभिप्राय किसी संग्रहालय या आर्ट गैलरी से है।

प्रमाण-पत्र पर संस्कृति मंत्रालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदक संग्रहालय/आर्ट गैलरी को जारी किया जाएगा। संग्रहालय/आर्ट गैलरी को जारी किया गया प्रमाण-पत्र इसे जारी करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध रहेगा और इसकी वैधता की अवधि के दौरान संग्रहालय/आर्ट गैलरी द्वारा पुरावस्तुओं/कलाकृतियों के बहु-आयातों के लिए इसे हकदार बनाएगा।

- (ग) यह "प्राधिकृत अधिकारी" का कर्तव्य होगा कि वह इसके लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर संग्रहालय (यों)/आर्ट गैलरी (यों) में प्रदर्शन हेतु कलाकृतियों के निःशुल्क सीमा शुल्क आयात के लिए इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत प्रमाण-पत्र जारी करें, बशर्ते कि आवेदक संग्रहालय (यों)/आर्ट गैलरी (यों) ने इन मार्गदर्शी सिद्धांतों और उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करने के साथ-साथ सभी अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत कर दिया है।

4. संस्कृति मंत्रालय द्वारा नियुक्त "प्राधिकृत अधिकारी" अपने कार्यालय में पंजिका का रख-रखाव करेंगे जिसमें बिना आयात शुल्क के देश में आयातित विभिन्न कलाकृतियों के संबंध में उनके द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के बारे में व्यौरा दर्ज होंगे और इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा प्रथमाक्षर किया जाएगा।

5. इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 2 (ख) (i) में यथा विनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संग्रहालयों द्वारा पुरावस्तुओं/कलाकृतियों के निःशुल्क सीमा शुल्क संबंधी आयात की अपेक्षा की स्थिति में, संबंधित संग्रहालय के प्रमुख "प्राधिकृत अधिकारी" होंगे और इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मोहर सहित प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।
6. कलाकृतियों के समुचित रखरखाव और सुरक्षा के लिए सीमा शुल्क संबंधी छूट के साथ कलाकृतियों का आयात करने वाले संग्रहालय/आर्ट गैलरी की निम्नानुसार जिम्मेदारी होगी :
- (क) संग्रहालय परिसर के भीतर या तो प्रदर्शन में या भंडार में सदैव अपने परिसर में अपने संग्रहण में आयातित कला वस्तुओं या कलाकृतियों को रखेंगे तथा "प्राधिकृत अधिकारी" की पूर्व अनुमति के बिना अस्थायी रूप से भी परिसर से बाहर इन्हें नहीं निकालेंगे।
- (ख) संग्रहालय आयातित कला वस्तु या कलाकृति के चित्र सदैव अपनी वेबसाइट पर विशेष रूप से यह उल्लेख करते हुए कि इसे सीमा शुल्क के भुगतान से छूट के अंतर्गत आयात किया गया है, अपलोड करेंगे और इसका रख-रखाव करेंगे।
7. सक्षम प्राधिकारी या "प्राधिकृत अधिकारी" किसी भी समय कलावस्तुओं का निरीक्षण कर सकते हैं या कला वस्तु का निरीक्षण करवा सकते हैं और संग्रहालय/आर्ट गैलरी प्रदर्शन क्षेत्र या भंडार क्षेत्र जहां आयातित कला वस्तु अवस्थित है का ऐसे निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी या उनके प्रतिनिधि को वहां जाने की अनुमति देंगे।
8. उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, "प्राधिकृत अधिकारी" द्वारा संग्रहालय/आर्ट गैलरी को जारी किया गया प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। संग्रहालय इन पर ब्याज सहित सीमा शुल्क का भी भुगतान करने और सीमा शुल्क प्राधिकरण के प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अंतर्गत यथा प्रबंधित जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- तथापि, बशर्ते कि जब तक सार्वजनिक संग्रहालय को उल्लंघन के लिए सफाई प्रस्तुत करने और/या सुधार करने का एक अवसर दे नहीं दिया जाता है, तब तक सीमा-शुल्क, जुर्माने या ब्याज शुल्क का भुगतान करने संबंधी ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. 13-6/2010-एम.1]

प्रमोद जैन, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक - क**संग्रहालय में प्रदर्शन हेतु कलाकृतियों/पुरावस्तुओं के आयात के लिए सीमा शुल्क में छूट हेतु आवेदन पत्र**

क्र. सं.	मद	ब्यौरे
1	आवेदक संग्रहालय का इसके मुख्य और आधिकारिक वेबसाइट के ब्यौरे सहित नाम और पता।	
2	संग्रहालय की स्थापना की तारीख। संग्रहालय परिसर के पट्टा/स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।	
3	प्रबंधन, सांविधिक निकाय, स्वायत्त संस्थान, पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन, पंजीकृत न्यास, पंजीकृत गैर-लाभार्थी निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या निजी इकाई के ब्यौरे और इसके पंजीकरण ब्यौरे आदि।	
4	क्या संग्रहालय आम जनता के लिए अभिगम्य है।	
5	क्या संग्रहालय में आगंतुकों का प्रवेश निःशुल्क है या टिकटी। यदि यह टिकटी है तो, प्रवेश टिकट के लागत की सूचना दी जाए।	
6	क्या प्रस्तावित कलाकृतियों/पुरावस्तुओं के आयात के लिए आवेदक संग्रहालय द्वारा इसके प्रबंधन (अर्थात् शासी निकाय) से सभी प्रासंगिक अनुमोदन प्राप्त किया गया है, कृपया सूचित किया जाए। कृपया प्रासंगिक अनुमोदन की एक प्रति संलग्न की जाए।	

7	क्या आवेदक संग्रहालय द्वारा कलाकृतियों/पुरावस्तुओं के आयात हेतु छूट पहले ही प्राप्त की गई है, कृपया सूचित किया जाए। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरे।*	
8	क्या प्रस्तावित कलाकृतियां/पुरावस्तुएं आवेदक संग्रहालय में स्थायी प्रदर्शनी के लिए आयात की जा रही हैं या अस्थाई अवधि प्रदर्शनी के लिए। कृपया परवर्ती मामले में तारीखों का उल्लेख भी दिया जाए।	

* यदि आवश्यक है तो अतिरिक्त शीट का उपयोग किया जाए।

सरकारी मोहर सहित आवेदक संग्रहालय
के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

अनुलग्नक - ख

संग्रहालय में प्रदर्शन हेतु कलाकृतियों/पुरावस्तुओं पर सीमा शुल्क छूट की मांग हेतु आवेदन के साथ दस्तावेजों की जांच सूची संलग्न की जाए।

आवेदक संग्रहालय/संस्थान द्वारा प्रदर्शन हेतु कलाकृतियों/पुरावस्तुओं के सीमा शुल्क मुक्त आयात के लिए आवेदन के साथ इस जांच सूची में निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं:-

1. निर्धारित प्रपत्र में पूरा किया गया आवेदन पत्र।
2. आवेदक संग्रहालय/ संस्थान की स्व अभिप्रमाणित पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
3. निम्नलिखित शपथ के रूप में 100/- के गैर-अदालती स्टाम्प पेपर पर आवेदक संग्रहालय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वचनबद्धता पत्र (मूलरूप में)
 - (क) आयातित कलाकृतियों/पुरावस्तुओं का अकेले या एक बड़े संग्रह के हिस्से के रूप में कोई मौद्रिक या गैर-मौद्रिक विचार हेतु व्यापार या आदान-प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।
 - (ख) आवेदक संग्रहालय/आर्ट गैलरी, आम जनता के लिए अप्रतिबंधित प्रवेश की अनुमति देगा।
 - (ग) आवेदक संग्रहालय या आर्ट गैलरी का आवास प्रबंधन स्पष्ट रूप से संग्रहालय या आर्ट गैलरी के संचालन मात्र के लिए होगा।
 - (घ) आवेदक संग्रहालय के परिसर से संबंधित पट्टा / स्वामित्व दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति।

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2015

G.S.R. 490(E).—In pursuance of general exemption Notification No. 22/2003-Customs dated 4.2.2003, Serial No. 5, Custom Notification No. 26/2011-Customs dated 1.3.2011 and No. 14/2015-Customs dated 31.03.2015 and in supersession of the Operational Guidelines issued by the Ministry of Culture and notified vide G.S.R. 800(E) dated 25.10.2011, the Government is pleased to issue the following revised operational guidelines for the supervision and maintenance of art objects that are imported with exemption from payment of customs duty:

2. These Operational Guidelines shall apply to import of all antiquities and works of art that are permitted for custom duty-free import, as they are intended for exhibition in a public Museum or a private museum/gallery where the public has access on payment of entry fee or otherwise. The museum/ art gallery applying for an exemption certificate under these guidelines must fulfill the following conditions:

- (a) The work of art, or the antiquity, proposed to be imported must have been purchased by the museum itself, or by an individual who has a long term agreement with such museum, and is intended for exhibition in that museum.
- (b) For the purposes of (a) above, a museum shall mean:
 - (i) a museum run by the Central or State Government;
 - (ii) or a Statutory Body or an Autonomous institution or a non-governmental institution, that is registered as a Society under the Societies Registration Act, 1890 or incorporated as a Public Limited Company under Section 25 of the Companies Act, 1956, or a Trust registered under the provisions of the Charitable

Endowments Act, 1890, or a registered non-profit body corporate or a private entity of the type mentioned above.

3. Any such museum/art gallery as specified in category 2(b) (ii) above, which intends to import works of Art without payment of customs duties will have to obtain a certificate as specified in Customs Notification No. 26/2011-Customs dated 1st March 2011 from Ministry of Culture, which shall be approved by Competent Authority for the purpose viz: Joint Secretary (Museums) in the Ministry. Before issuing such a certificate, the Deputy Secretary or Director (Museum), (as the case may be), Ministry of Culture being the 'Authorized Officer' appointed by the Ministry of Culture would satisfy himself/herself that the Museum/art gallery fulfills all the conditions as stipulated in these Guidelines and the aforesaid Customs notification. The museum/art gallery shall obtain the requisite certificate from the Government at least four weeks prior to actual date of import of artwork. The procedure for obtaining of a certificate by the museum/art gallery as specified in Para 2 (b) (ii) of these guidelines intending to import artworks with exemption of Customs duty shall be as follows:

- (a) The authorized representative from the museum/art gallery concerned shall apply to Director (Museums), Ministry of Culture for the issue of certificate in the Application format enclosed along with these guidelines at Annexure-A along with copies of documents mentioned in the checklist enclosed as Annexure-B.
- (b) Upon receipt of the request from the museum, the Museum Division of the Ministry of Culture would process the application received from the museum/art gallery for the issue of a certificate facilitating customs duty-free import of artworks into the country after examining whether the applicant museum is fulfilling all the conditions as specified in the aforesaid customs notification. If the museum/art gallery meets all the conditions then the 'Authorized Officer' will prepare a certificate and put up to the Competent Authority [Joint Secretary (Museums)], Ministry of Culture certifying the following:
 - (i) The importer runs a museum or an art gallery which allows unrestricted access to public; and
 - (i) The building housing such a museum or art gallery is clearly meant for the operation of a museum or art gallery.

The certificate will be signed by the Authorized Officer of Ministry of Culture and issued to the applicant museum/art gallery by the Authorized Officer. The certificate so issued to a museum/art gallery shall be valid for a period of 3 years from the date of its issue and would entitle multiple imports of antiquities/artworks by the museum/art gallery during its validity.

- (j) It shall be incumbent upon the 'Authorized Officer' to issue a Certificate under these guidelines for Customs Duty-free import of artworks for display in the museum (s)/art gallery (s) within a period of four weeks from the date receipt of the application towards it, provided that the applicant museum (s)/art gallery (s) fulfills all the conditions, as specified in these guidelines and the aforesaid Custom notification and submits all the requisite documents.

4. The 'Authorized Officer' appointed by the Ministry of Culture will maintain and register in his/her office in which the details about the certificates issued by him/her in respect of various artworks imported in the country without import duty will be recorded and initialed by him/her for this purpose.

5. In case of requirement of custom duty free import of antiquities/artworks by the museum of Central Government and State Governments, as specified in Para 2 (b) (i) of these guidelines, the Head of the museum concerned shall be the 'Authorized Officer' and shall issue the certificate under his hand and seal keeping in mind these guidelines.

6. The responsibility of the museum/art gallery importing artworks with exemption of customs duty towards their proper maintenance and safe-keeping will be as follows:

- (a) The museum shall hold the imported antiquity or artworks in its collection at its premises at all times, either on display or in storage within the premises and shall not take these out of the premises, even temporarily, without the prior permission of the 'Authorized Officer'.
- (b) The museum/art gallery shall upload and maintain on its website, at all times an image of the imported antiquity or work of art, specifying that it has been imported under exemption from payment of custom duty.

7. The Competent Authority or the 'Authorized Officer' may, at any time, inspect the object, or cause the object to be inspected, and the museum/art gallery shall permit access to the Authorized Officer or his/ her representative for such inspection to the display area or the storage area where the imported object is located.

8. In the event of violation of any of the above guidelines, the certificate issued to the museum/ art gallery by the 'Authorized Officer' shall automatically stand cancelled. The museum shall also be liable to pay the customs duty along with interest thereon, and penalty as provided under the relevant rules and regulations of the customs authorities.

Provided, however, that any such order or payment of customs duty, penalty or interest charges shall not be issued unless the public museum has been given an opportunity to explain and/or rectify the violation.

[F. No. 13-6/2010-M.I]

PRAMOD JAIN, Jt. Secy.

Annexure-A

Application form for Customs Duty Exemption for Import of Artworks/ Antiquities for Display in Museums

Sl. No.	Item	Particulars
1	Name and full address of the applicant Museum along with details of its Head and official website	
2	Date of establishment of the Museum. A self attested copy of the lease/ ownership deed of the museum premises must be attached.	
3	Particulars of the Management, Statutory Body, Autonomous Institution, Registered NGO, Registered Trust, Registered Non-Profit Body, Public Limited Company or a Private Entity) and its Registration particulars etc.	
4	Whether the Museum is accessible to general public	
5	Whether access of visitors to the Museum is free or paid. In case it is paid, indicate the cost of the entry ticket	
6	Please specify whether all relevant approvals have been obtained by the applicant Museum from its Management (e.g Board of Trustees) for the import of the proposed artworks/antiquities. Please attach a copy of the relevant approvals.	
7	Please specify whether the exemption for import of artworks/ antiquities has earlier been obtained by the applicant Museum. If so, furnish details.*	
8	Whether the proposed artworks/antiquities are sought to be imported for permanent exhibition in the applicant Museum or for a temporary-duration exhibition. Please also give dates in case of the latter.	

*Please use an additional sheet, if required.

Date:

Signature of Authorized Signatory

Place:

of the applicant Museum along with official seal

Annexure-B

Check List of Documents to be enclosed along with the application seeking Customs Duty exemption on artworks/ antiquities for display in the Museums

The documents given below in this check list must be submitted along with the request for Customs Duty-free import of artworks/antiquities for display by the applicant Museum/Institution:

1. Completed application form in the prescribed proforma.
2. Self-attested copy of Registration Certificate of the applicant Museum/Institution.
3. An undertaking (in original) duly signed by the Authorized Signatory (with seal) representing the applicant Museum on a Rs. 100/- non-judicial stamp paper undertaking on oath the following:
 - (a) that the imported artworks/antiquities shall not be traded or exchanged, for any monetary or non-monetary consideration, either singly or as a part of a larger collection.
 - (b) that the applicant Museum/Art Gallery will allow unrestricted access to the public.
 - (c) that the building housing the applicant Museum or art gallery is clearly meant only for the operation of a Museum or an art gallery.
 - (d) Self-attested copy of lease-deed/ ownership deed concerning the premises of the applicant Museum.